मिसल पेश (?) ...
दिनांक 30/5/23 को पेश हो।

30/5/23 पत्रावली पेश हुई। अधि० वादी उप०।
अधि० वादी ने बहस की कि अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा समान आराजी पर
मुकदमा सं 137/10 कृष्ण कुमार वगैरा
बनाम सरकार एवं हीरालाल वगैरा
बनाम सरकार मुकदमा सं (100/12)
में क्रमश: निर्णय दिनांक 01.02.2018
एवं 28/2/2017 को एक ही आराजी
दो अलग-अलग पक्षकारों के
नाम कर दी थी। जिसने के
दिनांक 1.2.2018 के निर्णय की
तो पालना नहीं हो सकी परंतु
निर्णय दिनांक 28/2/2017 की पालना
होकर विवादित आराजी हीरालाल,

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स के जज | अहलकार को हुक्म की तामील में जारी हुए

धनराज, मुकेश, महावीर एवं रामकरण के नाम दर्ज हो गई। इस निर्णय की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहाँ प्रार्थीगण द्वारा की गई जिसमें प्रार्थीगण के आवश्यक पक्षकार होने एवं प्रार्थीगण को सुनवाई का मुकम्मल अवसर नहीं दिए जाने के कारण अपील संख्या 2019/451 (451) के निर्णय दिनांक 22/6/2022 से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2018 अपास्त एवं मिस अपील संख्या 2020/13 के निर्णय दिनांक 22/6/2022 से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2017 अपास्त कर दिया गया है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने पर निर्णय से पूर्व की रिकार्ड की स्थिति बहाल की जानी चाहिए।

हुक्म

वर्तमान में हीरालाल वगैरह का नाम खातेदार के रूप में दर्ज होने के कारण पूर्ण आशंका है कि आराजी खुर्द-बुर्द की जा सकती है, अतः 144 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निर्णय दिनांक 28.2.2017 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावें।

बहस सुनकर, श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णयों अपील सं 2019/451 एवं 2020/13 निर्णय दिनांक 22/6/2022 के सावधानी पूर्वक अध्ययन एवं मनन के पश्चात ~~xxx~~ धारा 144 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझती हूं। धारा 144 CPC का प्रार्थना पत्र स्वीकार ~~कर~~ कर आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 28.2.2017 के आदेश की पालना से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए

13

तामील में

ग्राम इटावा की आराजी खसरा नं० 170 रकबा 0.20 हे०, ख० नं० 184 रकबा 0.40 हे०, ख० नं० 1171 रकबा 0.79 हे० ख० नं० 1218 रकबा 0.34 हे० कुल किता 4 कुल रकबा 1.70 हे० पर उपखंड अधिकारी इटावा के निर्णय दिनांक 28/7/2017 से पूर्व की स्थिति अनुसार खेल कराई खातेदार बजरंगलाल, नाथूलाल पुत्र किशनलाल, कंवरलाल, रतनलाल बालमुकुन्द के नाम दर्ज की जावे आदेश की पालना हेतु प्रतिलिपि तहसीलदार पीपल्दा को तहरीर जारी हो। पत्रावली में पारित निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो

अंजना सहरावत
उपखण्ड अधिकारी
इटावा